"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 141] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 मई 2010—वैशाख 17, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्र. 5082/105/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-04-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 5 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में शब्द "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर शब्द "सात हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 3 का संशोधन. 3. (एक) धारा 3 की उप-धारा (2) में शब्द "पांच हजार" के स्थान पर शब्द "आठ हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) धारा 3 की उप-धारा (3) में शब्द "सात सौ सड़सठ" के स्थान पर शब्द "एक हज़ार एक सौ दस" और शब्द "सात सौ पचास" के स्थान पर शब्द "एक हजार नब्बे" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्र. 5082/105/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 5 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 5 of 2010)

THE CHHATTISGARH ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSHA (VETAN TATHA BHATTA) (SANSHODHAN) ACT, 2010

An Act further to amend the Chhattisgarh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 27 of 1972).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In section 2 of the Chhattisgarh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 27 of 1972) (hereinafter referred to as the Principal Act) for the words "One Thousand Five Hundred" the words "Seven Thousand" shall be substituted. **Amendment of Section 2.**

3. (i) In sub-section (2) of Section 3 for the words "Five Thousand" the words "Eight Thousand" shall be substituted. **Amendment of Section 3.**

(ii) In sub-section (3) of Section 3 for the words "Seven Hundred Sixty Seven" the words "One Thousand One Hundred Ten" and for the words "Seven Hundred Fifty" the words "One Thousand Ninety" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.